Reg. No. (1)/DRTU/SD/17

ESTABLISHED: 2017

INTUC AFFILIATION No.: 13617



## पावर ग्रिड कर्मचारी संगठन उत्तरी क्षेत्र प्रथम

#### **Power Grid Karmcharee Sangathan Uttari Kshetr Pratham**

पंजी. कार्यालय : ए—22, डीडीएफ्लैट्स, डबल स्टोरी गढ़ी, ईस्ट ऑफ़ कैलाश, नई दिल्ली—110065 Registered Office : A-22, DDA Flats, Double Story Garhi, East of Kailash, New Delhi - 110065

Ref. NO; PG/NRI/KT/HR/2018/1735

#### The Right to Information Act 2005

Application for obtaining information

From,

V. K. Gaur

H.No. – C-115, Gali No.- 8,

Kanti Nagar Extn., Delhi - 110051

To,

The Chief Public Information Officer (CPIO)

Power Grid Corporation of India Ltd.

'Saudamini', Plot No - 2, Sector - 29,

Gurugram-122001 (Haryana)

Sub: Under the Right to Information Act 2005, Section- 6(1).

Respected Sir,

"Please supply me copies of the (1) Preliminary Action Taken Report, (2) Taken Report and final decision of the competent authority in matters of the letter dated 15.10.2018 and above mentioned Ref: representation in this letter filed by Undersigned, addressing to Director Personnel, Power Grid Corporation of India Ltd., 'Saudamini', Plot No-2, Sector- 29, Gurugram – 122001 (Haryana) (copy enclosed)."

An IPO worth of Rs. 10/- with no 38F 171137 is attached herewith this letter as RTI Fees.

With Best Regards,

Friday, December 15<sup>th</sup> 2018

Sh. Krir



## पावर ग्रिड कर्मचारी संगठन उत्तरी क्षेत्र प्रथम

## Power Grid Karmcharee Sangathan Uttari Kshetr Pratham

पंजी. कार्यालय : ए–22, डीडीएफ्लैट्स, डबल स्टोरी गढ़ी, ईस्ट ऑफ़ कैलाश, नई दिल्ली–110065 Registered Office : A-22, DDA Flats, Double Story Garhi, East of Kailash, New Delhi - 110065

Ref. NO: PG/NRI/KT/HR)2018/1541

सेवा में,

दिनांक: 1571012018

निदेशक कार्मिक, (पावरग्रिड), पावर ग्रिड कॉपरिशन ऑफ इंडिया लि॰(भारत सरकार का उपक्रम) सौदामिनी, प्लाट नं. - 02, सेक्टर - 29,

गुरुग्राम -122001 (हरियाणा)

संदर्भ:11/2017दिनांक:31/03/17एवं एनआर-1/केटी/2017/1488/दिनांक:09/08/2017

संदर्भ: एनआर-1/केटी/2018/648/दिनांक:11/04/2018

विषय:अनुस्मारक, पावरग्रिड प्रबंधन द्वारा उत्तरी क्षेत्र तृतीय में पंजीकृत यूनियनों के सदस्यों को पी.एन.बी.सी.वार्ता में गैरसंवैधानिक तरीके से उत्तरी क्षेत्र प्रथम का प्रतिनिधित्व करने के सन्दर्भ में।

उपरोक्त वर्णित विषय के संदर्भ में सारगर्भित, तथ्यात्मक एवं वास्तविक आधारों पर आधारित निम्नवत बिन्दुवार विवरण आपके सादर अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है:-

1. यह है कि पी.एन.बी.सी. पावरग्रिड निगम में कामगारों एवं प्रबंधन के मध्य शीर्षस्थ ज्वाइंट कंसल्टेटिव फोरम है।

2. यह है कि 29 नवंबर 2014 की पी.एन.बी.सी. बैठक में हुए समझौते के अनुसार पावरग्रिड का प्रत्येक क्षेत्रीय ट्रांसिमिशन सिस्टम पी.एन.बी.सी. की एक कांस्टीट्यूऐन्सी है।

3. यह है कि पी.एन.बी.सी. में हुए समझौते प्रबंधन एवं कामगारों के लिए बाध्यकारी है।

4. यह है कि 29 नवंबर 2014 की पी.एन.बी.सी. बैठक में हुए समझौते के अनुसार एक यूनियन उसी क्षेत्रीय ट्रांसिमिशन सिस्टम के अंतर्गत चुनाव में भाग लेने के लिए अधिकृत है, जहाँ की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत स्थित पंजीकृत कार्यालय से यूनियन का पंजीकरण होना अनिवार्य है।

5. यह है कि मार्च 2015 को उत्तरी क्षेत्र प्रथम में कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो संगठनों के मध्य चुनाव तीन वर्ष के लिए ही हुआ था, (1) पावर ग्रिंड इम्पलाइज ट्रेंड यूनियन सम्बद्धता भारतीय मजदूर संघ 1988 पंजी.सं.7306 श्रमायुक्त कानपुर उत्तर प्रदेश एवं (2) पावर ग्रिंड तकनीकी कर्मचारी संघ सम्बद्धता सेंटर ऑफ़ इंडियन ट्रेंड यूनियन 1994-95 पंजी.सं.8166 श्रमायुक्त कानपुर उत्तर प्रदेश। उक्त वर्णित दोनों संगठन जो कि कानपुर श्रमायुक्त के यहां पंजीकृतानुसार वर्तमान में उत्तरी क्षेत्र तृतीय की परिधि के अंतर्गत क्रियान्वित है। इसकी पुष्टि उत्तरी क्षेत्र तृतीय के पत्रांक उ.क्षे-/पावरग्रिड/आर.टी.आई./36/3356 दिनांकः 08-03-2017 को पावरग्रिड विभाग दवारा की गई है। (छाया प्रति संलग्न).

6. यह है कि दिनांक 23.01.2017 को सूचना के अधिकार की धारा 6 (1) के तहत आवेदन के उत्तर स्वरुप पावरग्रिड विभाग द्वारा दिए गए पत्रों से सुस्पष्ट है कि उक्त वर्णित दोनों संगठन दी सेंट्रल ट्रेड यूनियन रेग्यूलेशनस 1938 की धारा 07 के अंतर्गत पावरग्रिड के दो क्षेत्रों/राज्यों से पंजीकृत नहीं है, इसीलिए उपरोक्त वर्णित संगठनों का उत्तरी क्षेत्र प्रथम के कामगारों का वर्तमान में प्रतिनिधित्व करना गैरसंवैधानिक है।

ofansits 15/10/18

> Regn. No. (1)/DRTU/ SD/17

अतः पी.एन.बी.सी. बैठकों में उत्तरी क्षेत्र तृतीय की भोगौलिक परिधि में कानपुर उत्तर प्रदेश से पंजीकृत एवं कार्यरत यूनियनों के प्रतिनिधियों को बुलाने से एवं वैध तरीके से उत्तरी क्षेत्र प्रथम में पंजीकृत "पावर ग्रिड कर्मचारी संगठन उत्तरी क्षेत्र प्रथम" को पी.आर.बी.सी. में आमंत्रित नहीं करके प्रबंधन द्वारा ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के प्राविधानों, संविधान की धारा 14-16,19 (1), 23, 24,38,41-43ए तथा 1992 की तीसवी इंडियन लेबर कांफ्रेंस के निर्णयों का उल्लंघन किया जा रहा है।

उत्तरी क्षेत्र प्रथम में वैध तरीके से एकमात्र पंजीकृत "पावर ग्रिड कर्मचारी संगठन उत्तरी क्षेत्र प्रथम" को आमंत्रित नहीं कर अनुचित तरीके से उत्तरी क्षेत्र तृतीय में पंजीकृत यूनियनों को उत्तरी क्षेत्र प्रथम की पी.एन.बी.सी.का प्रतिनिधित्व करने के लिए पावरग्रिड विभाग द्वारा आमंत्रित किया जा रहा है। तथा पावरग्रिड प्रबंधन द्वारा एक मात्र वैध पंजीकृत यूनियन से वार्ता न करना section 2 (ra) fifth schedule के बिंदु 15 के तहत Unfair Labour Practice है। तथा Unfair Labour Practice ID Act 1947 के section 25 u के तहत दंडनीय अपराधकी श्रेणी में आता है।

अतः मान्यवर जी से निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के आलोक में उत्तरी क्षेत्र प्रथम का आगामी पी.एन.बी.सी. में प्रतिनिधित्व के लिए उत्तरी क्षेत्र प्रथम के एकमात्र वैध पंजीकृत संगठन "पावर ग्रिड कर्मचारी संगठन उत्तरी क्षेत्र प्रथम" को आमंत्रित करने का श्रम करावें। अन्यथा न्याय न मिलने की स्थिति में संगठन उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष जाने को बाध्य होगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी।

Regn. No.

(1)/DRTU/SD/4

ਧੁਰਿਕਿਹਿ-

01 अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, पावरग्रिड, गुरुग्राम विनम्र सूचनार्थ। 02 श्रीमान बाबर सलीम पासा, इंटक विनम्र सूचनार्थ।

### यावर प्रिष्ट कारणेरेशन आक इंडिया लिमिटे

ide i sterit er steri



#### POWER GRID CORPORATION DE NOTA-LIMITED

Civile Latining teencocking ...

Constrained of any Exercised

The literature of the control of the

Property Fed News

अन्य प्रमुक्त कर्मा क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र कर्मा क्षेत्र कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर स्थान

to the oxide 2017.

in Tollowski salah s मकाह मेर कि दिसी हैं है person and the दिस्ती - १६३३३।

रियम जन सुकना अधिकार के संबंध में आएक पड़ दिनाक 23:01:2017 के सदर्भ में।

्रभावक हार। अने रहता अधिकार अधिनित्त्व है 2005 के अंतरीत मार्ग पत्ती आवकारों का पत्त संदर्भ सक धाहरातार विनाक। हो आदेशहर अगर महाग्रवेशक तेक आवारत के जीवसक अधिकारों के यह संदर्भ से हांग्रहात है 2017 है तिना के 050 है 2017 क माध्या से के तीय संस्थाताय होसा उन्हों के दिनाक (ब.६० 2012 की) प्राप्त इंशा है। अवसी देता है। से सम्बंधित मार्गी त्री बिन्दवर समानक है हमानित्त है

E RT.	्रमागी गरी बानकारी	दी तपी जनकारी
	विनाम ११ घर २०१६ को जारी क्षेत्र प्रमुप के पुनरानत के उपरान कारी क्षेत्र प्रथम एवं अत्तर्ध क्षेत्र तृतीय में क्षित्रनी पुने कुत युने पन थे. पुरिस्त के नाम स्ववद्धता प्रजीवन प्रा दिनात, पेनीकरण संस्था के प्रमावका कार्यात्व जहा के प्रचीवन कर मह प्रमाणित आयोपित संतित सम्पूर्ण विवस्प देव	जित्तरी होत्र भा को प्रचादन ११ जुनाह २०१६ को हुआ या जिल्ला समय चत्तरी अंत्र भा में या राजार है देख यनियन चा जिल्ला विकास निभवत है १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १
	विभागीय परिसर में यूनियह कार्यालए हत् स्थान उपत्रका क संसा गया वर्ष एवं दिनाए सहित प्रत्यक यूनियन का पुणक मुख्क विवस्म देवें।	
	सिताबर 2016 को जातरिष्ठ विभाग द्वारा कालकाता पूर्वी क्षेत्र 2 में बुलाई एई पी एत की सी बेठक में पावरिष्ठ वैद्धीय मा सुद्धक प्राप्त के माल संश्र्वी अादिताक शि पड़ 2016 के प्रभाव से का जुलाई 2016 से पुनर गटित हैं से प्रथम एवं उत्तरी क्षेत्र तृतीय का प्रतिभिध्य के रूप में आमान्द्रव प्रतिविधियों के ताम पुनिपन्त से सम्बद्धता एवं पुणीकृत 'दिनाक' भजाकृत' संस्था व 'श्रमापुत्त' उप श्रमापुत्त कार्याक्षय जुला है पुणीकृत को गई प्रमाणव	<ul> <li>प्रतिनिधिक नामः श्रीविदेकक्मारं</li> <li>प्रतिमासे सम्बद्धताः प्रावरप्रिङ नक्नीक्षीकर्मकर्मेत्रार ।</li> <li>सम्बद्धताः मेंदरस्यापः इतियुन देख यूनिपन्तः</li> <li>प्रजीकृत दिनाक 1994-95</li> <li>प्रवीकृत स्ट्याः ११६०</li> </ul>

-भेजीहत कार्यांन्य । क्षेत्रिः कृतन करहारशासनः एडियाः कटवार्ग्यः सरम्यः नदे (बेट्सी) (2001) Registered office / Bay Kona Traditions at Americana Sacat Nave pers (102)।



## en Promotica da albaman.

TOTAL AND TOTAL CONTROL OF THE PROPERTY OF THE 

STATE OF STATE AND ADDRESS OF THE STATE ADDRESS OF THE STATE AND ADDRESS OF THE STATE ADDRES

Order from the Fig.

# THIRTIETH SESSION OF THE INDIAN LABOUR CONFERENCE (NEW DELHI: 7-8 SEPTEMBER, 1992)



MINISTRY OF LABOUR GOVERNMENT OF INDIA NEW DELHI

#### 7. NEGOTIATING COUNCILS (para 8.1)

Setting up of Negotiating Councils for every industrial establishment employing 50 or more persons.

8. NEGOTIATING COUNCILS ( para 8.2 and 8.3)

The Negotiating Councils shall consist of an equal member of representatives of employers and employees. In case there is no union a team of five persons may be elected.

9. NOMINATION OF REPRESENTATIVES ON THE NEGOTIATING COUNCIL (para 8.4)

In case there is only one union, that union will be entitled to nominate all the representatives on the Negotiating Council irrespective of its membership.

10. MACHINERY TO BE SET UP FOR CONDUCTING ELECTION OR FOR VERIFICATION (para 8.9)

Independent machinery be set up for conducting the election or for verification of membership through check-off.

11. REPRESENTATION IN CASE OF MULTIPLE UNIONS (para 8.10)

Where multiple unions have to be represented in the Negotiating Council, the representation of each union shall be in proportion to its membership or support, as the case may be.

12. ELIGIBILITY OF A UNION FOR CONTESTING MEMBERSHIP OF NEGOTIATING COUNCIL; ITS TENURE; RECOGNITION OF THE UNION WITH LARGEST MEMBERSHIP AS PRINCIPAL NEGOTIATING AGENT ETC. (para 8.11 to 8.17)

To contest for the position of member of the Negotiation Council, the Union must complete at least one year registration as a trade union under the Trade Unions Act. The Chairmanship at the meetings of the Negotiation Council will rotate between the employers' and workers' representatives. The Council will have three year tenure and the expenses relating to the said Council will be borne by the industry.

In case of composite Negotiating Council, the Union with the largest membership will be recognised as the principal Negotiating Agent. All agreements in the Negotiating Council which are unanimous or by majority shall be binding on all employers and employees.

13. VOLUNTARY ARBITRATION (para 9.2 to 9.6)

Every establishment employing 100 or more persons shall maintain a standing panel of arbitrators agreed to by both the parties; and upon failure of the Negotiating Council to settle any dispute either party shall have the right to invoke arbitration either by single person or by Board of Arbitration consisting of one or more representatives of each party out of the Standing Panel provided that other party agrees. It shall however, be open to the parties to accept as arbitrator any one from outside the panel.